



## अपर निजी सचिव परीक्षा-2023

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि : 19.09.2023

ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि : 19.10.2023

ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 19.10.2023

### महत्वपूर्ण

- (1) (i) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R.Registration) कर O.T.R. नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।
- (ii) ओटीओआर नम्बर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकता है।
- (iii) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीओआर नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घण्टे पूर्व आयोग की वेबसाइट <https://otr.pariksha.nic.in> से ओटीओआर नम्बर प्राप्त कर लें।
- (iv) ओटीओआर नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

- (2) अपूर्ण ऑन-लाइन आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (3) किसी भी स्तर पर परीक्षापत्रांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी परीक्षाओं/चरणों से उसे डिबार किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- (4) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा-O.T.R., फाइनल सबमिशन, फीस भुगतान, अर्हता से संबंधित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ़ व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।
- (5) अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा के प्रथम चरण के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी हार्ड कापी आयोग को प्रेषित न करें।
- (6) अभ्यर्थियों को अपने ऑन-लाइन आवेदन की हार्ड कापी के साथ ऑन-लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथा समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञापित के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

**विशेष सूचना :-** (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। (ख) O.T.R. के साथ रजिस्टर मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail पर प्रेषित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे।

### ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की Website <https://uppsc.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु "OTR धारित ON-LINE APPLICATION SYSTEM" लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन-लाइन आवेदन ही करें।

"ऑन-लाइन आवेदन" करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली-भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:-  
1-आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर 'ON-LINE ADVERTISEMENT'S' स्वतः प्रदर्शित होंगे, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं-

- (i) User Instructions
- (ii) View Advertisement
- (iii) Apply

User Instructions में अभ्यर्थियों को ऑन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। तत्पश्चात् पूरे विज्ञापन के साथ ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे।

"ऑन-लाइन आवेदन" करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा :-

**प्रथम चरण - APPLY** Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि:-

- (i) **'Yes'** पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् 'Click here to Authenticate' प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके अभ्यर्थी प्राप्त O.T.P. (रजिस्टर्ड मोबाइल नं०/ई-मेल पर) अथवा O.T.R. पासवर्ड के माध्यम से Authenticate कर सकते हैं। Authentication की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी हैं) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल सम्बन्धित पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही

भरनी होगी। (ii) **'No'** पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो:- a. सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल <https://otr.pariksha.nic.in> से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी. आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। b. ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।  
**द्वितीय चरण-** प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिये निर्धारित की गयी अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No का चुनाव करना होगा।  
**तृतीय चरण-** द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Click here to proceed for payment' कैप्शन के साथ 'Fees to be deposited [in INR]' प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्शन पर क्लिक करने के पश्चात् स्टेट बैंक 'MOPS (Multi option payment system)' का Home page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:-

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् Payment Acknowledgement Receipt (PAR) प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसका प्रिन्ट 'Print Payment Receipt' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate और 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

**चतुर्थ चरण-** तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् अभ्यर्थी OTR Dashboard में जाकर ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट भी प्राप्त कर सकता है। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो उसका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरान्त अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में 'Home Page' के 'Candidate Dashboard (O.T.R. Based) के Modify Application' पर Click कर आवेदित पद की अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में केवल एक बार संशोधन कर सकते हैं।

**2- आवेदन शुल्क :-** ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :-

- |  |   |
|--|---|
| (i) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग    | परीक्षा शुल्क ₹ 160/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 185/- |
| (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति                        | परीक्षा शुल्क ₹ 70/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 95/-   |
| (iii) दिव्यांगजन   | परीक्षा शुल्क NIL + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 25/-      |
| (iv) भूतपूर्व सैनिक  | परीक्षा शुल्क ₹ 70/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 95/-   |
| (v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी | अपनी मूल श्रेणी के अनुसार   |

3. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के समस्त चयनों/परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

**नोट:-** पूर्ण आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में Payment करना अति आवश्यक है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्ट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

4. उ0प्र0 सचिवालय, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग एवं उ0प्र0 राजस्व परिषद में अपर निजी सचिव पद पर भर्ती हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग इस विज्ञापन के परिशिष्ट-1 में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 का आयोजन करेंगे। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से अलग से दी जायेगी। अन्तिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर आयोग के निर्णयानुसार जिला/केन्द्रों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

5. **रिक्तियों की संख्या:-** वर्तमान में रिक्तियों की कुल संख्या 328 है जो कि परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती है।  
वेतनमान- ₹. 47600-151100/-, मैट्रिक्स लेवल-8

6. **आरक्षण:** उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों/उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों/उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा-उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/महिला अभ्यर्थी/उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों/उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग

अभ्यर्थियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमत्य होगा। उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमत्य होगा।

**नोट:-** (1) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं० 5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के बिंदु-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है- दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्तित पर नियुक्ति के लिये प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्तित पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्त की पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो। शासनादेशानुसार उ0प्र0 सचिवालय के अपर निजी सचिव पद की दिव्यांगता की उपश्रेणियाँ:- बी0,एल0वी0, डी0, एच0एच0, सी0पी0, एल0सी0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0, एम0डीवाई0, ओ0ए0, ओ0एल0 एवं उ0प्र0 राजस्व परिषद के अपर निजी सचिव पद की दिव्यांगता की उपश्रेणियाँ:- एल0वी0, ओ0एल0, डीडब्लू0, एल0सी0, ए0ए0वी0, एम0डी0 चिन्हंकित की गयी हैं।

(2) शासनादेश संख्या 39 रिट/का-2/2019 दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या 18/1/99/का-2/2006 दिनांक 9 जनवरी, 2007 के प्रस्तर 4 में दिये गये प्राविधान यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमत्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमत्य है, को रिट याचिका संख्या 11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को अधिकारतीत (ULTRA VIRES) घोषित करने संबंधी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 09.01.2007 से प्रस्तर 04 को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या 475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

(3) किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो O.T.R. के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें (क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएं O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होगी)

(4) आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। (5) उ0प्र0 के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी अवश्य अंकित करें। (6) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जायेगी। (7) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु में छूट का लाभ अनुमत्य नहीं है। (8) महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे। (9) अभ्यर्थियों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उप श्रेणी का दावा किया गया है उसके समर्थन में यथा समय समस्त वांछित प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. **आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें (केवल आयु में छूट हेतु):-** आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है, भी इस परीक्षा के लिये शासनादेश संख्या-22/10/1976-कार्मिक-2-85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं:- (अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है। (ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमत्य नहीं होगी, यदि (क) उसे सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया हो। (ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं (ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त न हुआ हो और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी हो।

8. **वैवाहिक प्राप्ति:-** ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

9. **शैक्षिक अर्हताएँ:-** आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑन-लाइन आवेदन के निर्धारित स्तम्भ में करें। विभागवार पद की शैक्षिक अर्हताएँ निम्नवत् हैं:-

क्र. सं.	पद का नाम	विभाग का नाम	विभाग / शैक्षिक अर्हताएँ
1	अपर निजी सचिव	उ0प्र0 सचिवालय	सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें होनी आवश्यक है:- (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता; (दो) हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम अस्सी शब्द प्रति मिनट की गति और कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति होनी आवश्यक है; (तीन) निम्नानुसार कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है:- एन0आई0ई0एल0आई0टी0 से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटिंग (सी0सी0सी0) अथवा सरकारी संस्थान / सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से समकक्ष पाठ्यक्रम। <b>अधिमानी अर्हताएँ</b> - अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :- (एक) प्रदेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
2	अपर निजी सचिव	उ0प्र0 लोक सेवा आयोग	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता धारित करना आवश्यक है। (दो) हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति धारित करना आवश्यक है। (तीन) निम्नानुसार कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है:- (क) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसाइटी द्वारा संचालित सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटिंग (सी.सी.सी.) के लिए विहित पाठ्यक्रम या (ख) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई पाठ्यक्रम। <b>अधिमानी अर्हताएँ</b> - अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :- (एक) प्रदेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
3	अपर निजी सचिव	उ0प्र0 राजस्व परिषद	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (11) हिन्दी आशुलेखन में और हिन्दी टंकण में क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। (111) (क) डोयेक (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.) सोसाइटी द्वारा संचालित सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटरिंग (सी.सी.सी.) के लिए विहित पाठ्यक्रम या (ख) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम, के अनुसार कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। <b>टिप्पणी-</b> अंग्रेजी आशुलेखन तथा अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा। <b>अधिमानी अर्हताएँ</b> - अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :- (एक) प्रदेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

**नोट:-** 1. भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में जारी शासनादेश संख्या-03/2023/312/47-का-2-312एलसी/2022 दिनांक 19.07.2023 का प्रवर्तनीय अंश निम्नवत् है:-  
3- पर्युक्त समस्या के निवारण के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये है:-  
(1)- ऐसे प्रकरणों में जहाँ तकनीकी प्रकृति के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है तथा उनके लिए सामान्य स्नातक की अर्हता के स्थान पर कोई विशिष्ट अर्हता एवं उसके समकक्ष अर्हता अथवा किसी विशिष्ट शाखा व उपशाखा में स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहाँ विहित अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।  
(2)- उक्त बिन्दु संख्या-1 से आच्छादित प्रकरणों को छोड़कर जिस किसी विभाग की नियमावली में अर्हता सामान्य स्नातक और उसके समकक्ष अर्हता निर्धारित की गई है, उक्त के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-  
(1) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियों स्नातक के रूप में मान्य होगी।  
(2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यवसायिक निकायों / संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक-स्तर की उपाधियों मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य किए जायेंगे।  
(3) किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केन्द्र सरकार / संबंधित राज्य सरकार / विनियामक निकायों से, जैसी भी स्थिति हो, संबंधित आयोगों द्वारा

जानकारी प्राप्त की जा सकती है।  
(4) उपर्युक्त समतुल्यता केवल उ0प्र0 राज्य में लोक सेवा आयोग / अधीनस्थ सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा सेवा-नियमावलियों में विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होगा।  
**2. Certificate course in computing (CCC)** की समकक्षता विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-2/2018/3/1/2015-का-2, दिनांक 05.07.2018 के अनुसार कम्प्यूटर में उच्च योग्यताधारी, यथा-कम्प्यूटर में डिप्लोमा, डिग्री, पी0जी0डी0सी0ए0, बी0सी0ए0, एम0सी0ए0 तथा ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री यथा- (बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0टेक0, एम0एस0सी0, एम0बी0ए0) में कम्प्यूटर एक विषय के रूप में अथवा एक सेमेस्टर में कम्प्यूटर कोर्स धारित करने वाले अभ्यर्थियों को भी चयन हेतु अर्ह माना गया है।  
**3-**अपर निजी सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग एवं उ0प्र0 राजस्व परिषद की शैक्षिक अर्हताएँ के बिन्दु तीन (ख) पर उल्लिखित अर्हता की समकक्षता के सम्बन्ध में शासन ने पत्र संख्या-5759/बीस-ई-2-2012-96(5)/2003 टी0सी0 दिनांक 24 जनवरी, 2013 द्वारा यह सूचित किया है कि कम्प्यूटर ज्ञान के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई पाठ्यक्रम का निर्धारण अपेक्षित होने के कारण इस सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद के पत्रांक: परिषद-9 /722, दिनांक 22 जनवरी, 2013 के माध्यम से प्राप्त कोबसे (काउंसिल फार बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन) द्वारा विधि द्वारा स्थापित मान्य परीक्षा संस्थाओं/शिक्षा बोर्डों की सूची उपलब्ध करायी गयी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा परीक्षाओं की समकक्षता के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया गया है कि-  
"देश के सभी राज्यों की विधि द्वारा स्थापित माध्यमिक शिक्षा परिषदों द्वारा संचालित हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट स्तर की परीक्षाओं में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के समकक्ष मान्य हैं।  
उक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली तथा काउन्सिल फार द इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (सी0आई0एस0सी0ई0) नई दिल्ली द्वारा संचालित हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट स्तर की परीक्षाओं भी मान्य हैं।"  
यह भी उल्लेख किया गया है कि निम्नांकित परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा मान्य नहीं हैं-  
1. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा संचालित प्रथमा/मध्यमा (विशारद) परीक्षा।  
2. बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, दिल्ली की हायर सेकेण्डरी परीक्षा।  
3. गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन मथुरा की अधिकारी परीक्षा।  
4. बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन मध्य भारत ग्वालियर द्वारा संचालित हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा।  
5. भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, भारत।  
6. भारतीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश।  
7. बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन की हायर सेकेण्डरी प्राविधिक परीक्षा।  
8. माध्यमिक शिक्षा परिषद, दिल्ली की हाईस्कूल परीक्षा।  
इस प्रकार कोबसे (काउंसिल फार बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन) द्वारा विधि द्वारा स्थापित मान्य परीक्षा संस्थाओं/शिक्षा बोर्डों की सूची, जिसमें उपर्युक्त अंकित 08 परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएँ अलग से निर्दिष्ट हैं, जिसे माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा मान्य नहीं किया गया है, शासन के पत्र के प्रस्तर-3 में निर्दिष्ट सूची के मान्य परीक्षा संस्थाओं/शिक्षा बोर्डों की हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद की क्रमशः हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं के समकक्ष हैं।  
ऐसी स्थिति में उपर्युक्तानुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट के समकक्ष इन मान्य परीक्षा संस्थाओं/शिक्षा बोर्डों में हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं के एक अलग विषय के रूप में कम्प्यूटर विषय के पाठ्यक्रम, जो स्पष्ट रूप से इंगित हो (अर्थात-मार्कशीट / सर्टीफिकेट में कम्प्यूटर विषय के अंक अलग से प्रदर्शित हो), तो वे माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम अर्थात् हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में कम्प्यूटर विषय के पाठ्यक्रम के समकक्ष होंगे।  
**पदों की संगत सेवा नियमावलियाँ**  
1. उत्तर प्रदेश सचिवालय वैयक्तिक सहायक सेवा नियमावली, 2001  
2. उत्तर प्रदेश सचिवालय वैयक्तिक सहायक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2005  
3. उत्तर प्रदेश सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2010  
4. उत्तर प्रदेश सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2023  
5. उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद समूह 'ख' और समूह 'ग' सेवा नियमावली, 2014  
6. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा विनियमावली, 2006  
7. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2020  
**10. आयु सीमा-** (1) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2023 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1983 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1968 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। (2) अधिकतम आयु सीमा में छूट:- (क) उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों तथा उ0प्र0 राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणत्तर कर्मचारियों तथा उ0प्र0 के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1978 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। (ख) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। (ग) उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिये अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि + 03 वर्ष के बराबर छूट अनुमत्य होगी।  
**11. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:-** (1) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित किया जा सकता है। (2) यदि O.T.R. में अंकित व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् **Dashboard पर Sync** करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा। इस संबंध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में कोई

भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा। गलत / भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। (3) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। (4) यथा समय माँगे जाने पर परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावों की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा प्रमाण पत्र/अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। (5) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शाारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा-3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किए गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमत्य होगा। (6) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है। (7) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवेदित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा। (8) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा और परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। (9) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिव्ययस्क या अल्पव्ययस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (10) आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोंपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जायेगी। (11) कदाशय अर्थात् परीक्षा में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवाञ्छनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। (12) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, O.T.R./Application ID Number जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। (13) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। (14) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिये निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें, क्योंकि वे पत्र नहीं हैं। (15) अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्र को भरने में केवल काले बाल च्याइंट पेन का प्रयोग करें। पेन्सिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें। (16) अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना संबंधित गोलों को ठीक से काला करके सही-सही भरें जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सकें। OMR Answer Sheet में गोलों को काला करके दी गई सूचनाओं के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जायेगा। उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर हवाइटरन, ब्लेड, पिन अथवा रबर आदि का प्रयोग भी न किया जाए। उत्तर पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और उक्त के लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। (17) OMR Answer Sheets दो प्रतियों में एक मूल प्रति (Original Copy) तथा दूसरी अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) रहेगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात् अभ्यर्थी OMR Answer Sheets की मूल प्रति (Original Copy) अन्तरीक्षक को सौंप देंगे तथा अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) अपने साथ ले जायेंगे। (18) परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये गलत उत्तरों पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी। 1. प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिये दिये गये एक गलत उत्तर के लिये प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह दण्ड दिया जाएगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिये कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा। (19) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे। (20) आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अन्तर्हित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जायेगा जब उनके द्वारा परीक्षा के किसी स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ/रियायत न लिया गया हो। (21) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कूटरचित Submit किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिये प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध आई.पी.सी. की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी। (22) जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाते हैं वे अभ्यर्थी अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं, अतः उन अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांक नहीं दिये जायेंगे।  
**सामान्य अनुदेश**  
1- अंतिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जाएंगे।  
2- सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पूर्व/तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं

का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और इसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3- आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट-2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगता से ग्रस्त, भूतपूर्व सैनिक तथा उत्कृष्ट/कुशल खिलाड़ियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुमत्य नहीं है। **महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।**

4- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करें जब संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अभ्यर्थियों को पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।

5- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियां (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या- 453/79-वी-1-15-1(का) 14-2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6-किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

7- परीक्षा हेतु जिलों की सूची परिशिष्ट-1 पर, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिशिष्ट-2 पर तथा परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

8-यदि अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के 'मेल बाक्स' से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

**Detailed Application Form:**  
At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped and the procedure will be terminated. Accepting to 'I Agree' only will submit the candidate's Online Application.

**Notification Details**  
This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/ department name and post name

**Personnel Details from OTR**  
This section shows information about candidate personnel details i.e. OTR Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number, photo & signature, address, UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges, Skilled Player, Outstanding Player of U.P., Debarred candidate. **Education & Experience Details**  
It shows your educational and experience details

**Declaration segment**  
At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.  
After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.  
Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in O.T.R. if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successful submission report that you can print.

**[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]**  
For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <https://uppsc.up.nic.in>

**IMPORTANT ANNOUNCEMENT**  
:- NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS  
• All Notification/Advertisements  
:- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION  
• Candidate Registration  
• Fee Deposition /Reconciliation  
• Submit Application Form  
• Modify Submitted Application  
• Candidate Dashboard (OTR Based)  
:- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION  
• Double Verification mode  
• View Application Status  
• Download Admit Card  
• Print Duplicate Registration Slip  
• Print Detailed Application Form  
• List of Applications Having ANY Objections  
• View Answer Key

**LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS:** On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

**परिशिष्ट-1**

**जिन नगरों में परीक्षा आयोजित की जायेगी वे निम्न प्रकार हैं:- (1) प्रयागराज एवं (2) लखनऊ**

**परिशिष्ट-2**

**उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी ..... ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान ..... हस्ताक्षर.....  
दिनांक ..... पूरा नाम.....  
मुहर ..... पद नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

**उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....  
दिनांक ..... पूरा नाम .....  
मुहर ..... पद नाम .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र- I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....  
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक .....

वित्तीय वर्ष ..... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पति/पुत्री श्री.....ग्राम/कस्बा..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य..... पिन कोड ..... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष ..... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।  
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।  
III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।  
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जाति ..... के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

हस्ताक्षर .....(कार्यालय का मुहर सहित)  
पूरा नाम .....  
पदनाम .....  
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र- I I)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... ग्राम/कस्बा ..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना ..... ब्लाक ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य .....

ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ:-

1. मैं ..... जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।  
2. मेरे परिवार की कुल स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु ..... (शब्दों में) है।  
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) ..... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।  
4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है:-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।  
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।  
III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।  
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।  
स्थान :- आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।  
दिनांक:-

उ0प्र0 के दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रमाण-पत्र (दिव्यांगजन प्रारूप)

**Form-II**  
**Certificate of Disability**  
(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)  
(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

**Certificate No.** ..... **Date:** .....

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. \_\_\_\_\_ son/wife/daughter of Shri \_\_\_\_\_ Date of Birth (DD/MM/YY) \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ years, male/female \_\_\_\_\_ registration No. \_\_\_\_\_ permanent resident of House No. \_\_\_\_\_ Ward/Village/Street \_\_\_\_\_ Post office \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:  
● locomotor disability  
● dwarfism  
● blindness  
(Please tick as applicable)

(B) The diagnosis in his/her case is \_\_\_\_\_

(C) he/she has \_\_\_\_\_% (in figure) \_\_\_\_\_ percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her \_\_\_\_\_ (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her \_\_\_\_\_ (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr.....) Member Medical Board with seal	(Dr.....) Member Medical Board with seal	(Dr.....) Chairperson Medical Board with seal
---	---	--

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

**Form-III**  
**Certificate of Disability**  
(In cases of multiple disabilities)  
(Name and Address of the Medical Authority/Board)

issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

**Certificate No.** \_\_\_\_\_ **Date:** \_\_\_\_\_

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. \_\_\_\_\_ son/wife/daughter of Shri \_\_\_\_\_ Date of birth (DD/MM/YY) \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, male/ female \_\_\_\_\_ Registration No. \_\_\_\_\_ permanent resident of House No. \_\_\_\_\_ Ward/Village/ Street \_\_\_\_\_ Post Office \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:-

In figures.....percent.

In words.....percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. **Reassessment of disability is:-**

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till .... .. (DD) (MM) (YY)

@ - e.g. Left/right/both arms/legs

# - e.g. Single eye

£ - e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

**Form-IV Certificate of Disability (In cases of other than those mentioned in Forms II and III)**

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

**Certificate No.** \_\_\_\_\_ **Date:** \_\_\_\_\_

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. \_\_\_\_\_ son/wife/daughter of Shri \_\_\_\_\_ Date of birth (DD/MM/YY) \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, male/ female \_\_\_\_\_ Registration No. \_\_\_\_\_ permanent resident of House No. \_\_\_\_\_ Ward/Village/ Street \_\_\_\_\_ Post Office \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_, whose photograph is affixed above and satisfied that he/she is a case of disability.

His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. **Reassessment of disability is:-**

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY).....

@ - e.g. Left/right/both arms/legs

# - e.g. Single eye/both eyes

£ - e.g. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ निवासी.....ग्राम..... तहसील .....नगर..... जिला ..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/ कुमारी (आश्रित) ..... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपर्युक्त अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) .. के आश्रित हैं।

स्थान: हस्ताक्षर .....

दिनांक: पूरा नाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी.....

सील.....

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4

**प्रारूप - 1**

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम .....

राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी ..... पूरा पता ..... ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित ..... (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) ..... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... नाम .....

पद .....

संस्था का नाम .....

मुहर .....

नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

**प्रारूप - 2**

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

(सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) .....

राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी (पूरा पता) ..... ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र ..... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... नाम .....

पद .....

संस्था का नाम .....

पता .....

मुहर .....

नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

**प्रारूप - 3**

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम ..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवास (पूरा नाम) ..... विश्वविद्यालय की कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय ..... (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ..... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद ..... विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... नाम .....

पद .....

संस्था का नाम .....

मुहर .....

नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

**प्रारूप - 4**

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश .....

राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवास (पूरा पता) ..... में ..... स्कूल में कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की ..... (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ..... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... नाम .....

पद .....

संस्था का नाम .....

मुहर .....

नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा ..... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

**परिशिष्ट-3**

**परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम**

**प्रथम चरण**

परीक्षा योजना

पूर्णांक-150 अंक

समय-3 घंटा

(1) सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी तथा कम्प्यूटर ज्ञान

(1) सामान्य ज्ञान (वस्तुनिष्ठ) 50 अंक

<p>(2) सामान्य हिन्दी (वस्तुनिष्ठ) 50 अंक (3) कम्प्यूटर ज्ञान (वस्तुनिष्ठ) 50 अंक कुल योग 150 अंक</p> <p>उपर्युक्त प्रथम चरण की परीक्षा परिणाम के अनुसार 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे और सफल अभ्यर्थी द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे।</p> <p><b>द्वितीय चरण</b> <b>(II) आशुलिपि टेस्ट, कम्प्यूटर टाइप टेस्ट</b></p> <p>परीक्षा योजना पूर्णांक-100 अंक समय-1 घंटा 30 मिनट (1) आशुलिपि (हिन्दी) 75 अंक (2) कम्प्यूटर टाइप 25 अंक</p> <p>उपर्युक्त दोनों चरणों की परीक्षा में न्यूनतम मानकों पर जो अभ्यर्थी सफल होंगे, वही अभ्यर्थी तृतीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे।</p> <p><b>तृतीय चरण</b> <b>(III) कम्प्यूटर प्रैक्टिकल प्रश्न-पत्र</b></p> <p>परीक्षा योजना पूर्णांक-50 अंक समय-1 घंटा (1) कम्प्यूटर प्रैक्टिकल 50 अंक</p> <p>उपर्युक्त चयन तीनों चरणों की परीक्षा के अंकों को जोड़कर श्रेष्ठता के आधार पर किया जायेगा।</p> <p><b>पाठ्यक्रम</b> <b>(प्रथम चरण की परीक्षा)</b> <b>(I) सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी तथा कम्प्यूटर ज्ञान</b> <b>खण्ड-ए</b> <b>सामान्य ज्ञान</b> 50 अंक</p> <p>1. शब्द संक्षेप 2. प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक 3. इतिहास (प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत के सन्दर्भ में)</p>	<p>4. विज्ञान 5. भूगोल (उ0प्र0 तथा भारत से सम्बन्धित) 6. भारत का संविधान 7. खेल जगत 8. महत्वपूर्ण नगर स्मारक एवं इमारते (भारत व उ0प्र0 के संदर्भ में) 9. महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएं 10. अंक गणित (कक्षा-8 स्तरीय)</p> <p><b>खण्ड-बी</b> <b>सामान्य हिन्दी</b> 50 अंक</p> <p>1. अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर तथा अपठित गद्यांश शीर्षक 2. पत्र एवं कार्यालयीय विभिन्न पत्रों का आलेखन 3. मुहावरें, लोकोक्तियाँ तथा उनका प्रयोग 4. अनेक शब्दों का एक शब्द 5. वाक्यों का शुद्धिकरण 6. पर्यायवाची तथा विलोम शब्द 7. शब्दों के अर्थ-हिन्दी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी (कक्षा-10 स्तरीय)</p> <p><b>खण्ड-सी</b> <b>कम्प्यूटर ज्ञान</b> 50 अंक</p> <p>1. Basic knowledge of working on Windows System Platforms on desktops and laptops with peripherals like Printer, Scanner, Microphone and Speaker. 2. Working knowledge of Microsoft office package (Microsoft word, Excel, Power point etc.) 3. Conversant in the use of World Wide Web and popular websites (for Railway/Air Reservation, search engines like Google, information websites like wikipedia etc.) 4. Working Knowledge of E-mailing (sending, sending with attachment, reading, saving, printing, maintaining address book etc.) 5. Working Knowledge of preparation of presentations</p>	<p>(power point, PDF etc.) with different styles and animations.</p> <p><b>द्वितीय चरण की परीक्षा योजना</b> <b>(II) आशुलिपि (हिन्दी)/कम्प्यूटर टाइप</b></p> <p>(1) आशुलिपि (हिन्दी) 75 अंक (80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेसन 5 मिनट का तथा लिप्यंत्रण हेतु समय 60 मिनट) (2) कम्प्यूटर टाइप (हिन्दी) 25 अंक (केवल 5 मिनट)</p> <p><b>तृतीय चरण की परीक्षा योजना</b> <b>(III) कम्प्यूटर प्रैक्टिकल</b> 50 अंक</p> <p>1. Working Knowledge of E-mailing (sending, sending with attachment, reading, saving, printing, maintaining address book etc.) 2. Conversant in the use of World Wide Web and popular websites (for Railway/Air Reservation, search engines like Google, information websites like wikipedia etc.) 3. Hands on Microsoft office. (1) Word, Excel, power Point. (i) Document writing, (ii) for mailing, (iii) punctuation insertion of table diagrams. (2) Making of Power Point Presentation. 4. Use of formulae and calculations on excel sheet.</p> <p>नोट:- आशुलिपि कौशल एवं टंकण परीक्षा हेतु कृति देव (Kruit Dev-10) फाण्ट के साथ-साथ मंगल फाण्ट का भी विकल्प दिया जायेगा। (विज्ञप्ति सं0नं0 03/11/ई-6/2022-23, दि0 02 मई, 2023)</p> <p style="text-align: right;">सचिव</p>
--	--	---